BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 1202 OF 2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITILED "E. COLI TRACES OF BLEACHING POWDER FOUND IN GREATER NOIDA HOUSING SOCIETY WATER SAMPLES" APPEARING IN THE INDIAN EXPRESS DATED 13.09.2024

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Affidavit on Behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board in compliance of the order dated 01.10.2024 passed by The Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi	1-5
2.	**Annexure R-1** Copy of show cause notice dated 24.12.2024 issued by the Uttar Pradesh Pollution Control Board to Additional Environmental Compensation	6-7
3.	**Annexure R-2** Copy of the letter dated 24.01.2025 imposing Additional Environmental Compensation on the project proponent	8-9
6.	Proof of service	10

THROUGH ADITYA VAIBHAV SINGH

Standing Counsel for UPPCB

A-394, Defense Colony

New Delhi- 110024

PLACE: NEW DELHI

DATE: 25-01-2025

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 1202 of 2024

<u>IN THE MATTER OF</u>:

News Item titled "E. Coli traces of bleaching powder found in Greater Noida housing society water samples" appearing in the Indian Express dated 13.09.2024

<u>AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 01.10.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.</u>

I, D.K. Gupta S/o Shri B.P. Gupta, aged about 57 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Greater Noida do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1) That the deponent is a Regional Officer of the Respondent of UPPCB, in the present case and as such being conversant with the facts and circumstances of the present case and competent to swear this affidavit.

2) That the present affidavit is being filed on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) pursuant

to the order dated 01.10.2024 passed by this Hon'ble Tribunal.

3) That the aforementioned Original Application was registered Suo Moto by the Hon'ble Tribunal on the basis of the news item titled "E.Coli traces of bleaching powder found in Greater Noida housing society water samples" appearing in The Indian Express dated 13.09.2024.

4) That the news item relates to the discovery of E.coli bacteria and bleaching powder in the water supply of M/s Supertech Ecovillage-2, Plot No. GH-01, Sector 16B, Greater Noida West, Gautam Budh Nagar which led to over 300 residents, including 170 children falling ill due to contaminated water. The affected residents experienced symptoms such as diarrhoea, vomiting, stomach pain and fever.

5) This Hon'ble Tribunal vide its order dated 01.10.2024 was pleased to implead the following Respondents:

(1) Chairman, Greater Noida Authority, Greater Noida Authority, C-14, Site-C, Industrial Area, Greater Noida, Uttar Pradesh – 201310

(2) Uttar Pradesh Pollution Control Board, Through its Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, 5th Floor, Sarojini Naidu Marg, Lucknow – 226001 Uttar Pradesh, India

NOTARY
Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar
GOVT OF INDIA

(3). Central Pollution Control Board (CPCB), Through its Member Secretary, Central Pollution Control Board, Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, Delhi - 110032, India

(4). District Magistrate (DM), Greater Noida, Office of the District Magistrate, District Administrative Complex, Greater Noida – 201310, Uttar Pradesh, India

6) **Action taken Report by UPPCB**

i. That the UPPCB pursuant to orders received from the District Magistrate, Gautam Budh Nagar carried out an inspection on 03.09.2024 at the concerned site.

ii. That during inspection, the UPPCB was informed that the water supply at the said society is done by the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA).

iii. That a team from the office of The Chief Medical officer (CMO), Gautam Budh Nagar had taken a sample of drinking water for testing pursuant to which a report was prepared by the office of The Chief Medical officer (CMO), Gautam Budh Nagar, in which the presence of E-coli bacteria was found.

iv. That further during inspection by the UPPCB, the following observations amongst others were made-

a. The project did not have Consent to operate (CTO).

NOTARY Virendra Kr. Garg Notary Advocate Reg. No.-2874 G.B. Nagar GOVT OF INDIA

b. The working of the STP was found faulty.

c. A major part of the sewage was being discharged without treatment.

v. In view of above deficiency, the UPPCB vide its letter dated 24.12.2024 issued a show cause notice regarding imposition of Additional Environmental Compensation of Rs. 1,80,84,375/- (One crore eighty lakhs eighty four thousand three hundred seventy five) against project proponent for discharging untreated sewage outside the project without proper treatment to which no reply was given by the project proponent. Therefore, vide letter dated 24.01.2025 the Additional Environmental Compensation was imposed on the project proponent. A copy of show cause notice dated 24.12.2024 is being attached herewith as **Annexure -1.**

A copy of the letter dated 24.01.2025 is being attached herewith as **Annexure -2.**

vi. That the UPPCB had also in the past found violations by the project proponent for which Environmental Compensation of Rs. 5,67,22,500/- (Five crores sixty seven lakhs twenty two thousand five hundred only) was imposed.

NOTARY Virendra Kr. Garg Notary Advocate Reg. No.-2874 G.B. Nagar GOVT OF INDIA

6. That the Annexures annexed to the present Affidavit are true copies of their respective originals.

7. That the present Affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

25/01/25

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at G.B. Nagar on this the 25th day of January, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

25/01/25

DEPONENT

NOTARY
Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar
GOVT OF INDIA

ATTESTED

Virendra Kr. Garg
Notary Advocate
Reg. No.-2874
G.B. Nagar

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पंजीकृत

पत्रांक 421714 /सी–1/जल–972/पर्या0क्षतिपूर्ति/2024 दिनॉक 24-12-24

मैसर्स सुपरटेक इकोविलेज–2 (प्रमोटर–मै0 सुपरटेक लि0),
प्लाट नम्बर–जी0एच0–01, सेक्टर–16 बी,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
मो0न0–7982994189

Recieved
Prasun
26/12/024
Prasun Mishra
Technical engineer
8448601446

राज्य बोर्ड द्वारा मैसर्स सुपरटेक इकोविलेज–2 (प्रमोटर–मै0 सुपरटेक लि0), प्लाट नम्बर–जी0एच0–01, सेक्टर–16 बी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरूद्ध दिनॉक–13.05.2023 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दूषित पेयजल की आपूर्ति के दृष्टिगत् बीमार हुए बच्चों एवं निवासियों की शिकायत पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में परियोजना का निरीक्षण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियो द्वारा दिनांक–03.09.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान स्थापित एस0टी0पी0 संचालित पाया गया किन्तु एस0टी0पी0 के एम0बी0बी0आर0 टैंक में एम0एल0एस0एस0 की मात्रा अल्प दृष्टिगोचित हुयी। एस0टी0पी0 के कलेक्शन टैंक में बाईपास लाईन स्थापित पायी गयी एवं घरेलू सीवेज को बाईपास लाईन के माध्यम से सीधे नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। अशुद्धिकृत नमूने की वायु गुणता निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी। तत्क्रम में क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा परियोजना के विरूद्ध दिनॉक–13.05.2023 द्वारा रूपया–42,60,000/–(रूपया बयालिस लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने एवं रूपया–1,80,84,375/–(रूपया एक करोड़ अस्सी लाख, चौरासी हजार तीन सौ पच्हत्तर मात्र) की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

YG ESTATES FACILITY MANAGE... ECOVILLAGE II

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या एवम् संस्तुति दिनॉक–09.10.2024 तथा उक्त पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त परियोजना के विरूद्ध रूपया–42,60,000/–(रूपया बयालिस लाख साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया–42,60,000/–(रूपया बयालिस लाख साठ हजार मात्र) तथा पूर्व पत्र दिनांक–13.05.2023 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया–5,24,62,500/–(रूपया पांच करोड़ चौबीस लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) कुल पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया–5,67,22,500/–(रूपया पांच करोड़ सरसठ लाख बाइस हजार पांच सौ मात्र) का भुगतान, जिसका Payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा

...2

टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड
गोमती नगर, लखनऊ–226010
दूरभाषः 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
ई–मेल : info@uppcb.com

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
Phone : 2720831, 2720828, 2720691, 2720681
E-mail : info@uppcb.com

करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :-

1-	Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति	Air Pollution
2-	Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय	Greater Noida
3-	EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया	UPPCB

उपरोक्त के अतिरिक्त **क्यों न** क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या एवम् संस्तुति दिनॉक–09.10.2024 तथा उक्त पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त परियोजना के विरूद्ध रुपया–1,80,84,375 / –(रूपया एक करोड़ अस्सी लाख, चौरासी हजार तीन सौ पिच्हत्तर मात्र) की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए?

उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को तत्काल बोर्ड के खाते में जमा करते हुए उक्त का साक्ष्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा तथा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(ए0के0 आनन्द)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त–1

प्रतिलिपि :क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त–1

Annexure-2

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

टी0सी0–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

पत्रांक : H23152 /सी–1/जल–257/पर्या0क्षतिपूर्ति/2025 दिनॉक : 24-1-25

मैसर्स सुपरटेक इकोविलेज–2 (प्रमोटर–मै0 सुपरटेक लि0),
प्लाट नम्बर–जी0एच0–01, सेक्टर–16 बी,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर।
मो0न0–7982494189

राज्य बोर्ड द्वारा मैसर्स सुपरटेक इकोविलेज–2 (प्रमोटर–मै0 सुपरटेक लि0), प्लाट नम्बर–जी0एच0–01, सेक्टर–16 बी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर के विरूद्ध दिनॉक–24.12.2024 द्वारा रूपया–42,60,000/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए पूर्व पत्र दिनांक–13.05.2023 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया–5,24,62,500/– सहित कुल रूपया–5,67,22,500/–(रूपया पांच करोड़ सरसठ लाख बाईस हजार पांच सौ मात्र) को बोर्ड के संबंधित खाते में जमा करने के निर्देश जारी किये गये थे, जिसे जमा किये जाने के संबंध में परियोजना से कोई सूचना एवं प्रतिउत्तर प्राप्त नही है। उक्त के अलावा परियोजना के विरूद्ध रूपया–1,80,84,375/– की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तत्क्रम में परियोजना का निरीक्षण राज्य बोर्ड क क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–07.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के दौरान परियोजना में स्थापित एस0टी0पी0 के कलेक्शन टैंक में बाई पास लाईन स्थापित पायी गयी एवं अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का आंशिक भाग एस0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत किया जाता है तथा शेष अशुद्धिकृत सीवेज को बाई पास लाईन के माध्यम से सीधे नाले में निस्तारित किया जाता पाया गया। निरीक्षण के दौरान एस0टी0पी0 आउटलेट तथा बाईपास लाईन के नमूने एकत्र कर क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गाजियाबाद में विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण आख्यानुसार बी0ओ0डी0–45 मिग्रा0/ली0, सी0ओ0डी0–358 मिग्रा0/ली0 पाया गया, जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है। उक्त के दृष्टिगत् क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा द्वारा दिनॉक–16.01.2025 के माध्यम से परियोजना के विरूद्ध राज्य बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक–24.12.2024 की पुष्टि करते हुए दिनांक–01.12.2022 से नवीनतम निरीक्षण दिनांक–03.09.2024 तक (कुल–643 दिन हेतु) Environment Compensation=PIxNxRxSxLF=75x643x250x1.5x1.0 की गणनानुसार रूपया–1,80,84,375/– (रूपया एक करोड़ अस्सी लाख, चौरासी हजार तीन सौ पच्हत्तर मात्र) की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, ग्रेटर नोएडा की आख्या एवम् संस्तुति दिनॉक–16.01.2025 तथा उक्त पर सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमोदनोपरान्त परियोजना के विरूद्ध रूपया–1,80,84,375/–(रूपया एक करोड़ अस्सी लाख, चौरासी हजार तीन सौ पच्हत्तर मात्र) की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है एवम् आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित

Recieved
S. ...
24/01/2025
(SURYA)
7217276278
(CEM)

...2

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया–1,80,84,375/–(रूपया एक करोड़ अस्सी लाख, चौरासी हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) की अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान Payment gateway (URL:https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में जमा करना सुनिश्चित करें। Payment gateway के Homepage के dropdown में निम्नलिखित विशिष्ट सूचना का चयन करें :–

1-	Nature of Pollution/ प्रदूषण की प्रकृति	Air Pollution
2-	Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय	Greater Noida
3-	EC imposed in Compliance/ अनुपालन में ईसी लगाया गया	UPPCB

उपरोक्त संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को तत्काल बोर्ड के खाते में जमा करते हुए उक्त का साक्ष्य उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में इकाई के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

(ए0के0 आनन्द)
पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त–1

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा ।
2. लेखा अधिकारी–प्रभारी, लेखानुभाग, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त–1

Affidavit of Ecovillage 2 in O.A. 1202 of 2024 on behalf of UPPCB

1 message

Gautam Singh <gautamsinghh.ind@gmail.com> Sat, Jan 25, 2025 at 22:18

To: ceo@gnida.in, mscb.cpcb@nic.in, dmgbn@nic.in

Cc: ADITYA SINGH <singh.adi340@gmail.com>, adityavaibhavsingh@protonmail.com

Affidavit of Ecovillage 2 in O.A. 1202 of 2024.pdf